राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्री रवि विजय, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 47/2018
तारीख दायरा :– 18.09.2018

प्रार्थी :–

1. मनरूपराम पुत्र स्व. पेमाजी जाति मेघवाल निवासी सादड़ी, तहसील देसूरी जिला पाली (राजस्थान)।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. कमला पत्नी सोहनलालजी जाति घांची निवासी सरथुर तहसील देसूरी
2. नेमाराम पुत्र ओटाजी जाति चौधरी निवासी सादड़ी तहसील देसूरी
3. किशोर पुत्र पुनारामजी जाति घांची निवासी सादड़ी तहसील देसूरी
4. भीमाराम पुत्र जीवारामजी जाति चौधरी निवासी सादड़ी तहसील देसूरी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट व आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी.रेडविथ धारा 151 सी.पी.सी.।

उपस्थिति :–

1. श्री दिव्य प्रकाश त्रिवेदी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शंकरलाल मीणा अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

–: आदेश :– दिनांक 28.05.2019

प्रार्थना पत्र के सक्षेंप के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने मूल वाद घोषणा व निषेधाज्ञा के साथ यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी रेडविथ धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सादडी चक 1 तहसील देसूरी मे स्थित हैं जिसके पुराने खसरा न. 240 मी. व नये खसरा नम्बर 984 रकबा 0.48 हैक्टर है। उक्त वाद ग्रस्त आराजी प्रार्थी के दादाजी स्वर्गीय लालाजी पुत्र पन्नाजी की थी। जिसमे आगे से आगे अधिकार उनके परिवार के वारिसान निहित हुए। उक्त वाद ग्रस्त आराजी स्व लालाजी की थी जो सवत् 2012 से 2015 की पुरानी जमाबन्दी से स्पष्ट है जिनकी मृत्यु पश्चात् उनके वारिसान चारो पुत्रो का नाम रिकोर्ड मे दर्ज होने के साथ ही पुराने खसरा नम्बर 240 रकबा 31 बीघा 01 बिस्वा 1/2 हिस्से में अवैध तरीके से बिना किसी आधार के दौरान स्टेलमेंट, स्टेलमेंट अधिकारीयों ने प्रार्थी के स्वर्गीय दादाजी के वारिसान के साथ तीन अजनबी व्यक्ति स्वर्गीय जमरूदीन, स्वर्गीय कासम खां व स्वर्गीय उमराव खां पुत्र गण जुहार खां का नाम विवाद ग्रस्त आराजी के खाते में दर्ज कर दिया। जो बिना किसी सक्षम

पेज लगातार 2 पर...

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

अधिकारी के आदेश के किया गया है जो गलत प्रविष्टि वक्त स्टेलमेंट की गई है। खातेदारी परिवर्तन का उन्हे कोई अधिकार नही था। प्राईमाफेसी केस एव सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है। मौके पर प्रार्थी के पिताजी व उनके भाईयो का कब्जा काश्त था।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि वक्त स्टेलमेंट प्रार्थी के दादाजी व प्रार्थी के पिता व भाईयो को रिकोर्ड की समझ व जानकारी नही थी। जिससे अजनबी व्यक्तियों व उनके वारिसो का नाम भी रिकोर्ड मे दर्ज होता रहा है।

वाद ग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से में सेटलमेट के दौरान विधि विरूद्ध इन्द्राज तीन अजनबी व्यक्तियों के नाम होने के पश्चात उनके वारिसान के नाम होने तथा वर्तमान मे स्टेट हाईवे पर आने से उक्त आराजी को अजनबी व्यक्तियों के वारिसों से अप्राथीनी कमला पत्नी सोहनलाल ने हिस्सा क्रय किया व आराजी पर अवैध तरीके से कब्जा करने की नियत से गुण्डो व बदमाशों द्वारा कब्जा हडपने की कोशिश की, जो अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 है। कब्जा खाली नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। उक्त कृत्य अप्रार्थी सं 2,3,4 द्वारा करने पर उनके विरूद्व एफ.आई.आर 113/2018 भी दर्ज करवाई, उसके बावजूद अप्रार्थीनी गुण्डो से अवैध अतिक्रमण कर कब्जा करने को तत्पर है।

अप्रार्थीनी सं. 1 कमला को किया गया बेचान से कमला को कोई अधिकार प्राप्त नही होता है यदि अवैध तरीके से अप्रार्थी गण द्वारा वादग्रस्त आराजी को हडप कर लेती है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी शर्ते सम्भव नही है प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी ख. न. 984 रकबा 0.48 हैक्टर के कब्जे काश्त मे अप्रार्थी गण द्वारा कब्जे काश्त में दखल नही करने व 1/2 हिस्से को बेचान, हस्तांतरण नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा व मौके व रेकर्ड भी यथा स्थिति के आदेश हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात दिनांक 27.09.2018 को न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी मे आगामी तारीख पेशी तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पक्षकारान को मौके व रिकोर्ड की यथा स्थिति बनाया रखने के आदेश दिया गये। अप्रार्थीगण द्वारा 16.05.2019 को जबाव प्रस्तुत कर जाहिर किया कि सादडी चक 1 के गत खसरा नम्बर 240 मी. रकबा 31 बीघा 1 बिस्वा की जमीन का 1/2 हिस्सा प्रार्थी के वारिसों का राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज था। जो हिस्सा आज भी उनके पास ही है व उसमें से अपने आधा हिस्से अनुसार प्रार्थी एवं उसके वारिस काबिज है अप्रार्थी सं 1 वादग्रस्त आराजी का 11/24 वा हिस्सा खरीद किया है जो जमरूदीन, कासु खां, उमराव खां बेटा जवाहर खां जाति कायन खानी साकिन सादडी द्वारा 21 रूपये 6 आना मे खरीद गया। राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद रियासत जोधपुर श्री दरबार राज मारवाड व स्टेलमेट विभाग जोधपुर के रिकोर्ड ओफिसर व तहसीलदार देसूरी एन.एल.आर. 1519/6.5.1954 जरिये मिसल नम्बर 6/53–54 के अनुसार हुआ। तत्पश्चात प्रथम व द्वितीय स्टेलमेट हुआ एव 1955 टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ। उसके पहले जमरूदीन वगैरा के कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त थे। व उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 8 होने वादग्रस्त आराजी 1/2 हिस्सा उनके कब्जा काश्त मे होने से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया व उसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 काबिज है। राजस्व रिकोर्ड के हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है प्रार्थी ने गलत तथ्य के आधार पर

पेज लगातार 3 पर...

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि काबिल खारीज योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रिकोर्डड खातेदार से रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा खरीद किया गया है इस कारण से उनका नाम रेकर्ड में चला आ रहा है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि रेकर्ड की समझ नही होने से रेकर्ड मे नाम आ रहा है। प्रार्थी एवं उनके परिवार द्वारा वाद ग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से के अलावा कब्जा काश्त नही था। गत खसरा नम्बर 240 रकबा 31 बीघा 01 बिस्वा के नये खसरा 973 से 984 कुल खसरा 12 कुल रकबा 6.13 हैक्टर बने थे। जिसमे से प्रार्थी के पुर्वजों के द्वारा एवं परिवार के सदस्य ने खसरा न. 984 के अलावा तमाम जमीन बेचान कर दी जो मौके पर अलग अलग काबिज है। खसरा नम्बर 984 अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खरीद करने के कारण, जमीन किमती होने एवम जातीय दुश्मनी के वजह प्रार्थी ने अप्रार्थी गण के विरूद्ध गलत एवं झुठा वाद एवम् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी गण के पक्ष मे है। स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थी गण को होगी। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2,3,4 के खिलाफ लगाई गई झुठी एफ.आई.आर मे भी एफ.आर दे दी। एफ.आर नम्बर 55/2018 है। अप्रार्थी सं. 1 वाद ग्रस्त आराजी के रिकोर्डड खातेदार है, कब्जा काश्त है, स्वामित्व है। अप्रार्थी स्ट्रेनजर परचेजर नही है। बल्कि प्रतिष्ठित व्यक्ति है। प्रार्थी ने रिकोर्डड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध प्रस्तुत किया है। प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन तीनो ही अप्रार्थी के पक्ष में है। जिससे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज योग्य होने से खारीज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्ता गण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि हमारी पुश्तैनी खातेदारी भूमि है जो प्रार्थी के दादाजी स्व. लालाजी पुत्र पनाजी की थी। जो जमाबन्दी सवत् 2012–2015 से स्पष्ट है गत खसरा नम्बर 240 मी. रकबा 31 बीघा 1 बिस्वा के 1/2 हिस्से में अवैध तरीके तीन अजनबी व्यक्ति जमरूदीन, कासम खां, उमराव खां के नाम सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट अधिकारीयो ने दादाजी के वारिसान के साथ बिना किसी अधिकार व आदेश के 1/2 दर्ज कर दिये जिसका कोई दस्ताबेज नही है। उक्त भूमि मेरे दादाजी के वारिसान के नाम करनी थी जो आगे से आगे बिना कब्जा के ट्रासफर कर दी। अप्रार्थी कमला ने कुछ हिस्सा क्रय किया है। मौके पर कब्जा नही है। अवैध रूप से ट्रासफर करवाया है नाम आने मात्र से कोई अधिकार नही मिल जाता है। वर्तमान भूमि स्टेट हाईवे पर आने से अप्रार्थी संख्या 1 ने अजनबी व्यक्ति से खरीद किया है। अवैध तरीके से अप्रार्थी कमला ने कब्जा करने की नियत से गुण्डो ओर बदमाशो द्वारा जमीन से बेदखल करने की कोशिश की। जो कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 है। एस.सी को बेदखल करने का प्रयास कर रहे है। इनके विरूद्ध एफ.आई.आर 113/2018 भी दर्ज करवाई। अप्रार्थी सं 1से 4 कमला के गुण्डे है। इनका कोई प्रोपर दस्ताबेज पेश नही है। सम्पति पुश्तैनी है। जिसके यह अपनी बताते है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी रिबुटल बहस में तर्क पेश किया है कि इन्होनें मिसल संख्या बताया है इसका कही इन्द्राज नही है। सेटलमेंट के दौरान इनका गलत तौर पर इन्द्राज किया है। जोधपुर गर्वरमेंट के समय पुरी जमीन हमारे नाम है। हमारा घोषणा का दावा है। मूल वाद के निस्तारण तक पारित टी.आई कन्फर्म करावे।

पेज लगातार 4 पर...

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के तथ्यो का खण्डन करते हुए अपनी बहस में व्यक्त किया कि प्रथमतः हम वाद विभाजन व निषेधाज्ञा का लेकर आये है। ये अप्रार्थी सं 1, 2, 3 , 4 के विरूद्ध टी.आई लेकर आये है। जो खातेदार नही है। खातेदार के विरूद्ध टी.आई नही ले सकते अर्थात No T.I can be granted against the recorded khatedhar है। कमला खातेदार है अप्रार्थी संख्या 1 ने हिस्सा खरीद किया है जो जमरूदीन, कासम खां, उमराव खां सादडी द्वारा 21 रूपये 6 आना में खरीद किया गया है। राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद रियासत जोधपुर श्री दरबार राज मारवाड व सेटलमेंट विभाग के रिकोर्ड ऑफिसर व तहसीलदार देसूरी द्वारा एन.एल.आर 1519/ 06.05.1954 के जरिये मिसल नम्बर 6/53–54 के अनुसार अमल दरामद हुआ है। आर.टी. एक्ट लागू नही हुआ है। उसके पहले 54 मे जोधपुर रियासत के समय इनका अधिकार है। लालीया वगैरा से हमने खरीदा जिससे हमारा नाम जमरूदीन वगैरा का नाम उनका 1/2 हिस्सा जमाबन्दी सवत् 2012–2015 से स्पष्ट है। 1954 हम जरिये क्रय के अनुसार उस भूमि पर आये है। वादी संख्या 1 से 9 का कब्जा था। टी.आई मे सभी को पार्टी नही बनाया है। खसरा न. 984 में क्रय किया है। 0.48 हैक्टर में से 1/2 हमने खरीदी। खरीदने से हमारा पजेसन हुआ । 1/2 में 0.84 हैक्टर इनकी है। हमारी भूमि पर हमारा कब्जा है। इनका कोई टाईटल नही है न ही कोइ पजेसन है। हम अजनबी क्रेता नही है। इन्होने हमे गुण्डा मवाली बनाकर एक मुकदमा भी किया था। एफ.आई.आर लगाई जिसमे एफ.आर लगी है।प्रकरण एस.सी/एस.टी कोर्ट पाली में चला । हम रिकोर्डड खातेदार है इन्होने बिना किसी टाईटल के आधार पर दावा किया है। टिनेसी एक्ट लागू हुआ तब वह उससे पहले से हम काबिज है हमारा कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। इन्होने हमें बेदखल करने हेतु बिना आधार के दावा किया है। इनका कभी पजेसन नही रहा है। इनका पजेसन होता तो प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के विरूद्ध ये टी.आई लाते। हमने भूमि रजिर्स्टड विक्रय – विलेख के क्रय की है। 1954 से आज तक काबिज है। अत प्रार्थी का प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज होने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ता गण की बहस पर मनन किया। अप्रार्थीगण का जबाव, पत्रावली पर उपलब्ध दस्ताबेज एवम मूल वाद का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है आर.टी एक्ट की धारा 212 आर.टी एक्ट सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी रेडविथ धारा 151 सीपीसी के प्रावधानो के मध्य नजर रखते हुए प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नही, यह अभिनिर्धारित किया जाना आवश्यक है कि वाद ग्रस्त आराजी में वक्त सेटलमेंट अजनबी व्यक्तियों का नाम राजस्व रिकोर्ड मे नही आया बल्कि जमरूदीन, कासू खां, उमराव खां बेटा जवाहर खा द्वारा इक्कीस रूपये छः आने मे खरीदा गया, जिसका नामान्तरण राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद रियासत जोधपुर श्री दरबार राज मारवाड व सेटलमेंट डिपार्टमेन्ट जोध्पुर के रिकोर्ड ऑफिसर व तहसीलदार देसूरी द्वारा एन.एल.आर 1519/06.04.1954 को जरिये मिसल नम्बर 6/53–54 के अनुसार हुआ है। तब से आज दिन तक उनका ही कब्जा काश्त है।प्रतिवादी सं 1 से 9 का पिछले 64 वर्षो से राजस्व रिकोर्ड में रिकॉर्डेड खातेदार होने से एवं कब्जा काश्त होने अप्रार्थी सं 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के खरीद किया जाना जाहिर है। वादग्रस्त आराजी के पुराने खं.न. 240 जिसके नये ख.न. 984 है। उसी विक्रय विलेख के

पेज लगातार 5 पर...

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

आधार पर अप्रार्थी सं.1 का नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज हुआ है। प्रार्थी खातेदार नही होने से अप्रार्थीगण जो खातेदार है, के विरूद्ध टी.आई व निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने का प्रार्थी को अधिकार नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी व वर्तमान मे अप्रार्थी सं.1 पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार व काबिज हैं अप्रार्थी सद्भावी केता व रिकोर्डड खातेदार है। अप्रार्थी अजनबी केता नही है। जबकि वादी/प्रार्थी द्वारा सेटलमेंट के वक्त तीनो अजनबी व्यक्तियों के नाम रिकोर्ड मे अवैध तरीके से बिना आधार के दर्ज किये जाना बताने के तथ्य गलत प्रतीत होते है। प्रार्थी ने विधि विरूद्ध बिना आधार के अप्रार्थी रिकोर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। जिससे न्याय के तीनों सिद्धान्त प्राईमाफेसी केस, सुविधा सन्तुलन, एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष मे बनना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी एक्ट आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा एवं पारित अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश एव पारित अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 27.09.2018 मेनटेनेबल नही हाने से खारिज योग्य पाया जाता है। जिसे खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल वाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

आदेश आज दिनांक 28.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इज्लास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी